न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, लखीमपुर–खीरी

प्रकीर्ण वाद सं0–105 / 2025

हरिपाल सिंह बनाम भूपेन्द्र सिंह आदि

CNR No UPLP10001697-2025

30.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उपस्थित कोई नहीं है। न ही परिवादी की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं, न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली बयान अं0धारा–223 बी0एन0एस0एस0 हेतु नियत है, किन्तु परिवादी की तरफ से अपना बयान अं0धारा–223 बी0एन0एस0एस0 अंकित नहीं कराया गया है। तत्पश्चात् परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चला आ रहा है, न ही उसके द्वारा वाद की पैरवी की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को परिवाद कार्यवाही को आगे संचालित किये जाने में कोई रुचि नहीं रह गयी है। पत्रावली पर इस स्तर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं है, जिससे अभियुक्तगण को किसी भी अपराध में तलब किये जाने का आधार बन सके। अतः परिवाद अंतर्गत धारा–226 बी0एन0एस0एस0 एवं बल अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्रद्धा भारतीय)
यू0पी01964
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी, खीरी।
30.05.2026